

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला-जशपुर,

(कलेक्टर प्रथम तल, दूरभाष-07763-223212, Email-actd.jashpur@gmail.com)

क्रमांक/PVTGRS/आ.जा.क./2026-27/ 1392

जशपुर, दिनांक :- 14/08/2026

जशपुर जिले में संचालित विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा, (भड़िया), वि.ख. बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिन्दी माध्यम विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए विज्ञापन

---: सूचना का प्रारूप :---

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा, (भड़िया), वि.ख. बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु अस्थाई रूप से प्रति कालखण्ड निर्धारित मानदेय पर अध्यापन कार्य करने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक- 24.08.2026 सायं 05:30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-जशपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित तिथि 24.08.2026 के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1. विषयवार रिक्तियों की संख्या :-

क्र.	पद	विषय	पद संख्या		रिमांक
			स्नातक (TGT)	स्नातकोत्तर (PGT)	
1	प्राथमिक से हाई स्कूल तक	गणित	1	1	
		विज्ञान	1	1	
		सा.विज्ञान	1	1	
		हिन्दी	1	1	
		अंग्रेजी	1	1	
		खेलकूद प्रशिक्षक / योग अनुदेशक	1	0	
कुल योग:-		6	5		

उपरोक्त संख्या परिवर्तनीय है, विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाइट :- <https://Jashpur.nic.in> एवं कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-जशपुर (छ.ग.) में भी अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र	विवरण	तिथि
1	आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	14.08.2026 से
	आवेदन करने की अंतिम तिथि	24.08.2026 सायं 05:30 बजे तक

(अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला-जशपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला-जशपुर,

(कलेक्टर प्रथम तल, दूरगाप-07763-223212, Email-actd.jashpur@gmail.com)

क्रमांक/PVTGRS/आ.जा.क./2026-27/1372

जशपुर, दिनांक :- 14.08.2026

जशपुर जिले में संचालित विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा, (भड़िया), वि.ख. बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिन्दी माध्यम विद्यालय के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए

—:: मार्गदर्शी सूचना प्रारूप ::—

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा, (भड़िया), वि.ख. बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार अतिथि शिक्षक (प्रति कालखण्ड निर्धारित मानदेय के आधार पर) व्यवस्था किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 24.08.2026 सायं 05:30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-जशपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि 24.08.2026 के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि शिक्षक व्यवस्था किये जाने हेतु विषयवार रिक्तियों की संख्या आवश्यक अनिवार्य योग्यता निर्धारित मानदेय एवं आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. विषयवार रिक्तियों की संख्या :-

क्र.	पद	विषय	पद संख्या		रिमार्क
			स्नातक (TGT)	स्नातकोत्तर (PGT)	
1	प्राथमिक से हाई स्कूल तक	गणित	1	1	
		विज्ञान	1	1	
		सा.विज्ञान	1	1	
		हिन्दी	1	1	
		अंग्रेजी	1	1	
		खेलकूद प्रशिक्षक/योग अनुदेशक	1	0	
कुल योग:-			6	5	

उपरोक्त संख्या परिवर्तनीय है, विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।

2. पदों हेतु अनिवार्य योग्यता :-

(1) पी.जी.टी. :-

i. शैक्षणिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण :-

क्र	विषय	विषय समूह
1	हिन्दी	हिन्दी (साहित्य)
2	अंग्रेजी	अंग्रेजी (साहित्य)
3	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
4	जीव विज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/लाइफ साइन्स/जैविक/अनुवांशिकी/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबॉलोजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलॉजी)/आणविक जीव विज्ञान (मॉलिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।
5	सामाजिक अध्ययन	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/विजनेस अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन/भूगोल/इतिहास/प्राचीन भारतीय इतिहास

ii. व्यावसायिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

✍



(2) टी.जी.टी. :-

- i. **शैक्षणिक योग्यता :-** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमानुसार आवेदित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण :-

क्र	विषय	विषय समूह
1	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
2	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
3	गणित	स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए इसके साथ भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साइन्स/सांख्यिकी, भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो या बी.ई./बी.टेक हो।
4	विज्ञान	स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भौतिकी, कम्प्यूटर साइन्स एवं भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो या बी.ई./बी.टेक हो।
5	सामाजिक अध्ययन	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा।

- ii. **व्यावसायिक योग्यता :-** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड (B.Ed.) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
 iii. **शिक्षक हेतु संबंधित छ.ग. शिक्षक पात्रता परीक्षा (CGTET) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**

• **वांछनीय योग्यता :-**

शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।

• **खेलकूद प्रशिक्षक/योग अनुदेशक (पी.टी.आई.)**

• **शैक्षणिक योग्यता :-**

आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

• **व्यावसायिक योग्यता :-**

डी.पी.एड./बी.पी.एड अथवा एम.पी.एड उत्तीर्ण अनिवार्य।

3. **मानदेय भुगतान :-** कार्यालय पदेन/सचिव, छ.ग. राज्य स्तरीय आ.जा.क. आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र/1564 दिनांक 20.05.2022 के आधार पर निर्धारित मानदेय।

पद	मानदेय	रिमार्क
स्नातकोत्तर शिक्षक	350/- प्रति काल खण्ड	अधिकतम 04 कालखण्ड प्रतिदिन
स्नातक शिक्षक	300/- प्रति काल खण्ड	अधिकतम 04 कालखण्ड प्रतिदिन
खेलकूद प्रशिक्षक	250/- प्रति काल खण्ड	अधिकतम 04 कालखण्ड प्रतिदिन

4. **पी.जी.टी. पद के हेतु :-** प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिये अभ्यर्थियों के लिये चयन का मापदण्ड जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर

क्र	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	10%
2	स्नातक के अंको का	20%
3	स्नातकोत्तर के अंको का	40%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (01 वर्ष हेतु-02 अंक, 02 वर्ष हेतु-04 अंक, 03 वर्ष हेतु-06 अंक, 04 वर्ष हेतु-08 अंक एवं 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम -10 अंक) (01 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा।) (छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा।)	01 वर्ष -02 अंक 02 वर्ष -04 अंक 03 वर्ष -06 अंक 04 वर्ष -08 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -10 अंक
5	इंटरव्यू (प्रत्येक आवेदित पद के 10 गुना पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जावेगा।)	20 अंक

टीप :- अनुभव प्रमाण-पत्र केवल शासकीय/पंजीकृत शैक्षणिक संस्था का एवं संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य है। केवल स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(Handwritten signature)

5. टी.जी.टी. पद हेतु :- प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिये अभ्यर्थियों के लिये चयन का मापदण्ड जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है

क्र	योग्यता	अंक भार
1	हाई स्कूल के अंको का	10%
2	हायर सेकेण्डरी के अंको का	20%
3	स्नातक के अंको का	40%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (01 वर्ष हेतु-02 अंक, 02 वर्ष हेतु-04 अंक, 03 वर्ष हेतु-06 अंक, 04 वर्ष हेतु-08 अंक एवं 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम -10 अंक) (01 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा।) (छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा।)	01 वर्ष -02 अंक 02 वर्ष -04 अंक 03 वर्ष -06 अंक 04 वर्ष -08 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -10 अंक
5	इंटरव्यू (प्रत्येक आवेदित पद के 10 गुना पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जावेगा।)	20 अंक

टीप :- अनुभव प्रमाण-पत्र केवल शासकीय/पंजीकृत शैक्षणिक संस्था का एवं संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य है। केवल स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

6. पी.टी.आई. (खेलकूद प्रशिक्षक/योग अनुदेशक) पद हेतु :- प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिये अभ्यर्थियों के लिये चयन का मापदण्ड जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है

क्र	योग्यता	अंक भार
1	हाई स्कूल के अंको का	10%
2	हायर सेकेण्डरी के अंको का	20%
3	स्नातक के अंको का	40%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (01 वर्ष हेतु-02 अंक, 02 वर्ष हेतु-04 अंक, 03 वर्ष हेतु-06 अंक, 04 वर्ष हेतु-08 अंक एवं 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम -10 अंक) (01 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा।) (छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा।)	01 वर्ष -02 अंक 02 वर्ष -04 अंक 03 वर्ष -06 अंक 04 वर्ष -08 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -10 अंक
5	इंटरव्यू (प्रत्येक आवेदित पद के 10 गुना पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जावेगा।)	20 अंक

टीप :- अनुभव प्रमाण-पत्र केवल शासकीय/पंजीकृत शैक्षणिक संस्था का एवं संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य है। केवल स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्त :-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
- अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल 01 शैक्षणिक वर्ष के लिये वैध रहेगा। किन्तु अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।
- अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र)।
- प्रावीण्य सूची में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
- नियुक्ति में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों हेतु 01 अप्रैल 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक।
- पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है।

5

- समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
8. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
 9. अभ्यर्थी द्वारा भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
 10. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर से विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि सहा.शिक्षक/अतिथि शिक्षक/अतिथि व्यायाम शिक्षक हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2026-27 लिखा जाना अनिवार्य होगा।
 11. शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
 12. चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अन्दर संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रावीण्यता सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को अध्यापन हेतु उपस्थित कराया जाएगा।
 13. आकस्मिक अवकाश एवं शासकीय अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
 14. अतिथि शिक्षकों का अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करना होगा।
 15. अतिथि शिक्षकों के पदों के नियुक्ति के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जायेगा एवं इस आशय का शपथ पत्र (50/-रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) देना अनिवार्य होगा, एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/कलेक्टर जशपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 16. कार्यरत अतिथि शिक्षक विशेष पिछड़ी जनजातीय (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे। एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/कलेक्टर जशपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला-जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/PVTGRS/आ.जा.क./2026-27/
प्रतिलिपि :-

जशपुर, दिनांक :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिले के वेबसाइट:- <https://Jashpur.nic.in> पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला-जशपुर (छ.ग.)

विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय रूपेसरा (भड़िया) वि.ख. बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.)
के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था किये जाने हेतु

आवेदन का प्रारूप
वर्ष 2026-27

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला-जशपुर (छ.ग.)

अपना नवीनतम
फोटोग्राफस
स्व-प्रामाणित
कर चिपकाएँ।

आवेदित पद (अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक/व्यायाम अनुदेशक) :-

1. आवेदित पद का विषय :-
2. आवेदक का नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. वर्तमान पता :-
5. स्थाई पता :-
- (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. जन्म तिथि :-
- (प्रमाण हेतु हाई स्कूल का अंकसूची संलग्न सूची करें)
7. आधार नम्बर :-
8. मोबाईल नम्बर :-

9. शैक्षणिक योग्यता :-

(हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर/B.Ed/CGTET/CTET की सत्यापित अंकसूची की प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी स्कूल					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	B.Ed					
6	D.El.Ed / D.Ed					
7	शिक्षक पात्रता परीक्षा- CG TET / CTET					

10. अनुभव प्रमाण-पत्र केवल शासकीय/पंजीकृत शैक्षणिक संस्था का एवं संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षर होना अनिवार्य है। केवल स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। विवरण (यदि हो तो)

क्र	शासकीय/शासकीय अनुदान संस्था का नाम	पदनाम/विषय	अध्यापन कार्य का अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। मुझे यह भी भलीभाँति जानकारी/ज्ञात है कि, उक्त पद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है, मेरे द्वारा नियमितकरण अथवा कार्य पर पुनः रखे जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार का दावा नहीं किया जावेगा।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

